

प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 12 जनवरी, 2026

कार्यालय - बृजमोहन अग्रवाल, संसद सदस्य, रायपुर, लोकसभा

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पुलिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डिजिटल सुधारों की अपील की; MHA ने रिपोर्टों की ऑटो-डिलीवरी के लिए CCTNS 2.0 में दिया प्रावधान

- अग्रवाल ने संसद में 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' मंडेट के साथ बेंगलुरु रिश्वत कांड का मामला उठाया।
- MHA ने CCTNS 2.0 के ज़रिए पोस्ट-मॉर्टम और चोरी रिपोर्ट डाउनलोड करने का प्रस्ताव
- देशव्यापी डिजिटल रोलआउट के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग ज़रूरी: MHA

नई दिल्ली — पोस्ट मॉर्टम के बाद की रिपोर्ट एवं चोरी हुए वाहनों की नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट के लिए अब पीड़ित पक्षों को चक्कर नहीं काटने होंगे, गृह मंत्रालय ने बृजमोहन को जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रणाली पर काम चल रहा है जिसे की CCTNS 2.0 के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाया जायेगा।

लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान, बृजमोहन अग्रवाल ने सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए "पुलिस रिपोर्ट के डिजिटल इज़ेशन और ऑटो-डिलीवरी" के संबंध में यह बात रखी थी।

एक औपचारिक जवाब में, गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि अब CCTNS 2.0 में पोस्टमार्टम और चोरी की रिपोर्ट डाउनलोड करने की सुविधा को जोड़ा जा रहा है। यह अपग्रेडेड सिस्टम, जिसे अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) डेवलप कर रहा है, नागरिकों को पुलिस स्टेशन जाए बिना ऑनलाइन कानूनी रूप से मान्य, ई-साइन वाली रिपोर्ट एक्सेस करने की सुविधा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

MHA ने इस बात पर ज़ोर दिया कि CCTNS 2.0 के तहत इन नए फीचर्स को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए "राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के साथ उचित सलाह-मशविरा" किया जाएगा। अभी, नौ ज़रूरी नागरिक सेवाएं—जिनमें FIR की कॉपी और शिकायत की स्थिति ट्रैक करना शामिल है—पहले से ही राज्य पुलिस सिटिज़न पोर्टल के ज़रिए दी जा रही हैं। CCTNS 2.0 में प्रस्तावित बदलाव इस डिजिटल दायरे को बढ़ाएगा, जिसके लिए पूरे भारत में हज़ारों परिवारों को एक जैसी पहुँच और तेज़ी से कानूनी निपटारे सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर सहयोग की ज़रूरत होगी।

Press Release - ENGLISH

Date: Jan 12, 2026

Office of Brijmohan Agrawal, Member of Parliament, Raipur, Lok Sabha

MP Brijmohan Agrawal appealed for digital reforms to curb police corruption; the MHA has included a provision in CCTNS 2.0 for the automatic delivery of reports

- **Agrawal raised matter of Bengaluru Bribery Scandal with 'Ease of Living' Mandate in the parliament**
- **MHA Proposes Post-Mortem and Theft Report Downloads via CCTNS 2.0**
- **State and UT Collaboration Vital for Nationwide Digital Rollout : MHA**

New Delhi — Victims will no longer have to make repeated visits to obtain post-mortem reports and non-traceable reports for stolen vehicles, the Ministry of Home Affairs informed Brijmohan, stating that work is underway on this system, which will be made available to the general public through CCTNS 2.0.

During the winter session of the Lok Sabha, Brijmohan Agrawal had raised the issue of "digitization and auto-delivery of police reports" to improve public service delivery.

In a formal response, the Ministry of Home Affairs confirmed that the facility to download post-mortem and stolen vehicle reports is now being added to CCTNS 2.0. This upgraded system, currently being developed by the National Crime Records Bureau (NCRB), is designed to allow citizens to access legally valid, e-signed reports online without having to visit a police station.

The MHA emphasized that "appropriate consultations with state/union territory police" will be conducted to successfully implement these new features under CCTNS 2.0. Currently, nine essential citizen services—including obtaining copies of FIRs and tracking complaint status—are already being provided through state police citizen portals. The proposed changes in CCTNS 2.0 will expand this digital scope, requiring state-level cooperation to ensure uniform access and faster legal redressal for thousands of families across India.

बंडी संजय कुमार
BANDI SANJAY KUMAR



D.O. No. 04/18/2025-WS-IV

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

MoS/(Home)(BS)/...4092/33/EF/2026

Dear Shri Brijmohan Agrawal Ji,

08 JAN 2026

This is in reference to the matter of urgent public importance that you raised during Zero Hour in Lok Sabha on 04.12.2025 concerning the subject "Digitization and auto-delivery of police reports (theft/post-mortem) by linking with the CCTNS system to enhance public service delivery"

2. In view of the above, I am pleased to state that NCRB's Digital Police Portal (<https://digitalpolice.gov.in>) provides four citizen services at the central level namely Missing Person Search, Generate Vehicle NOC, Proclaimed Offenders Information and Locate Nearest PS.

3. In addition, nine mandated citizen services are being provided through the State Police Citizen Portals and are also accessible via the Digital Police Portal. These include: filing of complaints with the concerned Police Station; tracking the status of complaints; obtaining copies of FIRs; accessing details of arrested persons and wanted criminals; information on missing/kidnapped persons; details of stolen and recovered vehicles, arms and other properties; submission of requests for issue/renewal of various No Objection Certificates (processions, events/ performances, protests/strikes, etc.); verification requests for domestic help, employment, passports, senior citizen registration, etc.; and a portal for sharing information and downloading requisite forms.

4. Considering the importance of the issue raised by you, I would like to inform you that provisions for downloading Post-Mortem Reports and Theft Reports through the CCTNS State Citizen Portals are proposed to be made available under CCTNS 2.0, which is presently under development by the NCRB. This will be implemented after due consultation with the State/UT Police. The proposed feature will enable citizens to conveniently download such reports without the need to visit a Police Station

With regards.

Yours sincerely,

(Bandi Sanjay Kumar)

Shri Brijmohan Agrawal,
Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha)
21 B R Mehta Lane,
New Delhi- 110001.

'शून्य काल' के दौरान मामले उठाने के लिए सूचना

डायरी नंबर: 4382

दिनांक :03/12/2025

समय : 11:21:19 PM



प्रेषक

Shri Brijmohan Agrawal,संसद सदस्य

सेवा में

महासचिव,

लोक सभा, नई दिल्ली।

महोदय,

मैं यह अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे दिनांक 04/12/2025 को सभा में 'शून्य काल' के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाने की अनुमति दी जाए। अनुमति दिए जाने पर मैं मामले को संक्षेप में निम्नवत् उठाऊँगा/उठाऊँगी:

पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मज़बूत करने और मिडिल क्लास के लिए 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ज़रूरी पुलिस रिपोर्ट, जैसे इंश्योर्ड सामान की चोरी के लिए 'नॉन-ट्रेसेबल' सर्टिफ़िकेट और अननैचुरल मौत के मामलों में पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट जारी करने को डिजिटाइज़ एवं ऑटो डिलीवर किया जाए। इससे फ़िजिकल इंटरैक्शन काफी कम हो जाएगा, जिससे रेंट-सीकिंग के मौके कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और सर्विसेज़ तक आसान, बराबर एक्सेस मिलेगा। इससे इंश्योरेंस क्लेम और लीगल सेटलमेंट में तेज़ी आएगी, जिससे हर साल हज़ारों परिवारों को राहत मिलेगी। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई ऐसी ही घटना का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिश्तत मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए कर्नाटक के चीफ़ सेक्रेटरी और DGP को नोटिस जारी किया।

इस सर्विस को मौजूदा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) पोर्टल के साथ जोड़ने पर विचार कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेरिफ़िकेशन और ई-साइन की हुई, कानूनी तौर पर वैलिड रिपोर्ट जारी करने की सुविधा मिल सके।

यह कदम सीधे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के विज़न को सपोर्ट करते हुए पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मज़बूत करने और मिडिल क्लास के लिए 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' को बेहतर बनाने में काफी मददगार होगा।

भवदीय,

Shri Brijmohan Agrawal

सदस्य, लोक सभा

विभाजन सं. ____